



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या-291
04 / 03 / 2010

गया में शराब दुकानों की बन्दोबस्ती 10 मार्च को गया
समाहरणालय सभाकक्ष में होगी।

पटना, 4 मार्च 2010 :: जिला जन संपर्क पदाधिकारी, गया ने सूचना दी है कि गया नगर निगम क्षेत्र के 33 देशी/मशालेदार शराब 24 विदेशी शराब की दुकाने तथा नगर पंचायत क्षेत्र की 7 देशी/मशालेदार शराब 11 विदेशी शराब की दुकाने तथा प्रखण्ड स्तर की 20 देशी/मशालेदार शराब 15 विदेशी शराब दुकाने एवं पंचायत स्तर की 78 कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती 10 मार्च के पूर्वाहन 10 बजे से गया समाहरणालय के सभाकक्ष में लॉटरी प्रणाली द्वारा की जायेगी। इच्छुक शराब दुकानदार अनुज्ञप्ति के लिए 5 मार्च के अपराहन 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बन्दोबस्ती शर्तों की विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त उत्पाद गया के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
